न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर

नि.जा. -67-PBR-16

लोकेन्द्र सिंह आ0श्री छतर सिंह
निवासी ग्राम पतलई कलॉ तह0
डोलरिया जिला होशंगाबाद ——————————————पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

मनमोहन सिंह आ0 जगन्नाथ सिंह
निवासी ग्राम पतलई कलॉ तह0 डोलरिया
जिला होशंगाबाद ——————————————————उत्तरदाता

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50म.प्र.भू राजस्व संहिता

LP 27-1-16

पुनरीक्षणकर्त्ता यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय डोलरिया द्वारा राजस्व सीमाकंन प्रकरण क 60अ/12 वर्ष 2010.11 ग्राम पतलईकला तह0 डोलरिया जिला होशंगाबाद मनमोहन सिंह बनाम सर्वसाधारण मे पारित आदेश दिनॉक 24.03.2014 एवं न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय होशंगाबाद के राजस्व प्रकरण कं 03 अ/12 वर्ष 2014–15 लोकेन्द्र सिंह बनाम हरप्रताप सिंह में पारित आदेश दिनांक 02.07.2015 से क्षुब्द्ध एव व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान के समक्ष बिना किसी बिलम्ब के प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के तथ्य

यह कि पुनरीक्षणकर्त्ता एवं उत्तरदाता ग्राम पतलई कलॉ तह0 डोलरिया जिला होशंगाबाद के स्थायी निवासी होकर कास्तकार हैं मनमोहन सिंह द्वारा धारा 129 म.प्र.भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत आवेदन पत्र पेश कर प्रश्नाधीन भूमि ग्राम पतलईकलॉ तह0डोलरिया जिला होशंगाबाद खसरा नं.16 रकबा 1.243 हेक्टयर का सीमाकंन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया गया है जो कि दिनॉक 15.11.11 को राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर निरस्त किया गया है तथा उक्त प्रकरण मे पुनः 09.10.2012 को तहसीलदार डोलरिया द्वारा सीमाकंन किये जाने का आदेश पारित किया गया है एवं प्रकरण मे पुनरीक्षणकर्त्ता को प्रथम सूचना पत्र दिनॉक 16.09.13 का प्राप्त होने पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 67–पीबीआर/16 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–1–2016	आवेदक एवं केवियटकर्ता के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 2–7–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–3–14 एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 2–7–2015 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 24–3–14 निरस्त कर दिया गया है, और अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि वर्तमान में प्रचलित है । अतः एक ही आदेश के विरूद्ध अपील लंबित होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अपर आयुक्त प्रकरण में अंतिम निर्णय करने के बाद पक्षकार को नियमानुसार निगरानी/अपील का अवसर उपलब्ध रहेगा । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	